**Granting of B-2 Status to Pondicherry**

802. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government consideration to grant B-2 status to the Union Territory of Pondicherry; and

(b) if so, by when the said proposal will be announced by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) No such proposal is under consideration of the Government.

(b) Does not arise in view of (a) above.

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋण**

**803. श्री रणजीत सिंह :**
**श्रीमती सुषमा स्वराज :**

क्या वित्त मंत्री 28 अप्रैल, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 172 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में ओवर 17% आफ क्रेडिट डिसबर्सल्स ओवर ड्यू" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कुल राशि का औसतन लगभग 17 प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों से बट्टे खाते डाला जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अतिदेय अग्रिमों की धन-राशियां, बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई ऋण हानियों की राशियों की द्योतक नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, सभी वाणिज्यिक बैंक अशोध्य और संदिग्ध ऋण संबंधी अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के अनुसार प्रावधान करते हैं और केवल वे ऋण ही बट्टे खाते डाले जाते हैं, जिन्हें वसूली योग्य नहीं समझा जाता है। वसूली के सभी सम्भव प्रयासों के पश्चात् ही बैंक अग्रिमों को बट्टे खाते डालते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार भी, बट्टे खाते डाली गई ऋण हानियों के बारे में बैंक सूचना प्रकट नहीं करते हैं।

**"दिल्ली में हवाला रैकेट"**

**804. श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1992 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में ऐसे अनेक गुप्त ठिकाने हैं जहां से हवाला रैकेट चलाया जा रहा है जो मात्र संदेश के जरिए तस्करों के लिये विदेशी मुद्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गुप्त ठिकानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि इस धंधे में मुद्रा-परिवर्तन को कमीशन सरकार को न मिलकर हवाला रैकेट चलाने वालों को मिलती है और इससे सरकार को राजस्व के रूप में मिलने वाली विदेशी मुद्रा की भारी हानि होती है;

(घ) यदि हां, तो उस धंधे से सरकार को विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हो रही है; और